क्रम-संख्या–99

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू0/एन0पी0–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 05 मार्च, 2008

फाल्गुन 15 , 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 451/79-वि–1-08-1(क)–3-2008

लखनऊ, 05 मार्च, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 04 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

(2) यह 15 दिसम्बर, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 8-घ का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948, जिसे आगे मूल ऐक्ट कहा गया है, की धारा 8—घ में,—

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "संकर्म संविदाकार को देय धनराशि से कर की कटौती" के स्थान पर शब्द "स्रोत पर कर की कटौती" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

"(1—क) सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग, निगम, उद्यम और सरकारी कम्पनियाँ, राज्य के भीतर से माल का क्रय किये जाने के मामले में, ऐसे क्रय के लिये विक्रेता को भुगतान करते समय कर की धनराशि की कटौती करेंगी।"

(ग) उपधारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(2-क) (एक) स्रोत पर कर कटौती करने के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, यदि वह पंजीकृत नहीं है, कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष कर कटौती संख्या आवंटित करने के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा;

(दो) कर कटौती संख्या का उल्लेख जमा सम्बन्धी सभी चालानों, प्रमाण-पत्रों और ऐसे समस्त दस्तावेजों में किया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये;

(तीन) यदि कोई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग, निगम, उद्यम या सरकारी कम्पनी आदि पंजीकृत नहीं है किन्तु उन्हें इस धारा के अधीन स्रोत पर कटौती करने के लिये उत्तरदायी बनाया जाता है तो वे कर कटौती संख्या आवंटित करने के लिये तत्काल आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति भुगतान तब तक प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि कर की धनराशि की कटौती न कर ली जाय;

(घ) उपधारा (3), (4), (6) और (9) में शब्द और अंक "उपधारा (1) या उपधारा (2)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे;

(ङ) उपधारा (4 क) में, शब्द "संविदाकार या उप-संविदाकार" के स्थान पर शब्द "संविदाकार या उप-संविदाकार या विक्रेता" रख दिये जायेंगे ;

(च) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

"(6-क) यदि कर की कटौती के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, कटौती करने के पूर्व कर कटौती संख्या हेतु आवेदन करने में विफल रहता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी, उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त लिखित आदेश द्वारा, निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में काटने योग्य धनराशि के दुगुने से अनधिक धनराशि का भुगतान करेगा।"

धारा 21 का संशोधन

3—मूल ऐक्ट की धारा 21 की उपधारा (2) में चतुर्थ प्रतिबन्ध के पश्चात, निम्नलिखित प्रतिबन्ध अन्त में बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि कर निर्धारण वर्ष 2005—2006 के लिये कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण 31 मार्च, 2009 तक किया जा सकेगा।"

भूतलक्षी प्रभाव से विज्ञप्ति का प्रवर्तन

4—सरकारी विज्ञप्ति संख्या क0नि0—2—2359/ग्यारह—7(159)/91—उ0प्र0 अधि0—15—48—आदेश—(10)—2007, दिनांक 11 अक्टूबर, 2007 द्वारा यथासंशोधित सरकारी विज्ञप्ति

संख्या–क0नि0–2–163/ग्यारह–9(203)/92–उ0प्र0अधि0–15–48–आदेश–4(5)–2004, दिनांक 15 जनवरी, 2004 में क्रम संख्या 1, 4 और 5 के सामने स्तम्भ 3 में आने वाले मद (घ), (ख) और (घ) को छोड़कर और क्रम संख्या 1, 4 और 5 के सामने स्तम्भ 3 में आने वाले शब्द "किन्तु हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाईस्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाईस्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर किरोसिन आयल, फर्नेश आयल, रेजीडुअल फ्यूल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पेट्रोलियम स्टाक्स और इनके समस्त स्वरूप सम्मिलित नहीं हैं" को छोड़कर शेष 16 दिसम्बर, 2003 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण :–इस भाग में किये गये अपवाद दिनांक 15 जनवरी, 2004 के उपर्युक्त विज्ञप्ति के जारी होने के दिनांक से प्रभावी हो जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 36 सन् 2007

निरसन और अपवाद

5–(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

कर की वसूली को सरल एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 को संशोधित करके मुख्यतः निम्नलिखित व्यवस्था की जाए,–

(क) संकर्म संविदाकार को देय धनराशि से कर की कटौती की व्यवस्था के स्थान पर स्रोत पर कर की कटौती की व्यवस्था लागू की जाय और सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों, निगमों, उद्यमों और सरकारी कम्पनियों को, यदि माल का क्रय राज्य के भीतर से किया जाय, विक्रेता को भुगतान करते समय कर की धनराशि की कटौती करने के लिए प्राधिकृत किया जाय;

(ख) कर निर्धारण वर्ष 2005–2006 के लिए कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण बढ़ाकर 31 मार्च, 2009 तक कर दिया जाय;

(ग) किसी सरकारी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए विधायी कार्रवाई करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2007 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 36 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 451(2)/LXXIX-V-1-1 (ka) 3-2008
Dated Lucknow, March 05, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vyapar Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 04, 2008 .

THE UTTAR PRADESH TRADE TAX (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. ACT NO. 6 OF 2008)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act; 2008.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 15, 2007

Amendment of section 8-D of U.P. Act no. 15 of 1948

2. In section 8-D of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948, hereinafter referred to as the Principal Act,–

(a) in the marginal heading *for* the words''Tax deduction from the amount payable to Works Contractor'' the words ''deduction of tax at source'' shall be *substituted*;

(b) *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely:–

''(1-A) Government/Semi-Government Department, Corporations, Enterprise, and Government Companies in case of purchasing goods from within the State, shall make deduction of tax amount at the time of making the payment to the seller against such purchase.'';

(c) *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely:–

''(2-A)(i) Every person responsible for tax deduction at source, if not registered, shall submit an application for allotment of tax deduction number, to the assessing authority;

(ii) the tax deduction number shall be mentioned in all challans of deposit, certificates and all such documents, as may be determined by the State Government;

(iii) if any Government, Semi-Government Department, Corporation, Enterprise or Government Company etc. is not registered but is made responsible to make deduction at source under this section shall submit an application forthwith for allotment of tax deduction number:

Provided that no person shall receive the payment till the amount of tax is deducted.

(d) in sub-sections (3), (4), (6) and (9), *for* the words and figures "sub-section (1) or sub-section (2)" the words and figures "sub-section (1) or sub-section (1-A) or sub-section (2)" shall be *substituted.*

(e) in sub-section (4-A), *for* the words "contractor or sub-contractor" the words "contractor or sub-contractor or the seller" shall be *substituted.*

(f) after sub-section (6), the following sub-section shall be *inserted*, namely :–

"(6-A) If any person responsible for making tax deduction fails to apply for tax, deduction number before making deduction, the assessing authority may, after giving him reasonable opportunity of being heard, by order in writing, direct that such person shall pay, by way of penalty, a sum not exceeding twice the amount deductible."

Amendment of section 21

3. In section 21 of the principal Act, in sub-section (2) *after* the fourth proviso, the following proviso shall be *inserted* at the end, namely :–

"Provided also that the assessment or re-assessment for the assessment year 2005-2006 may be made by March 31, 2009."

Enforcement of notification with retrospective effect

4. The Government notification no. Ka. Ni.-2-163/XI-9(203)-92-U.P. Act-15-48-Order-(5)-2004, dated January 15, 2004 as amended by Government notification no. Ka. Ni.-2-2359/XI-7(159)/91-U.P.-Act-15-48-Order-(10)-2007, dated October 11, 2007 except items (d), (b) and (d) appearing in column 3 against serial numbers 1,4 and 5 respectively and the words "excluding high speed diesel, low sulphur high speed diesel, ultra low sulphur high speed diesel, light diesel oil, super light diesel oil, superior keresone oil, furnace oil, residual fuel oil, low sulphur heavy stocks, heavy petroleum stocks and all variants" appearing in column 3 against serial 1, 4 and 5 shall be deemed to have come into force on December 16, 2003.

Explanation :–The exceptions made in this section shall become operative with effect from the date of commencement of the aforesaid notification dated, January 15, 2004.

Repeal and Savings

U.P. Ordinance no. 36 of 2007

5. (1) The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to making the realization of tax more simple and flexible it was decided to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 mainly to provide for,–

(a) replacing the arrengement of Tax deduction from the amount payable to works contractors by the arrangement of deduction of tax at source and authorzing the Government/Semi-Government Departments, Corporations, Enterprises and Government Companies to make deduction of the amount of tax at the time of making the payment to the sellor if the goods are purchased from within the State;

(b) making the assessment or re-assessment for the assessment year 2005-2006 by March 31, 2009;

(c) enforcement of a Government notification with retrospective effect.

Since, the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 36 of 2007) was promulgated by the Governor on December 15, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–1149 राजपत्र (हि0)–(2556)–2008–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०य०पी०–ए०पी० 448 सा० विधा०–2008–(2557)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।